न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
पीठासीन अधिकारी : डॉ. बजरंग सिंह, आर.ए.एस.

पंचायत निगरानी संख्या : 153/2024

जीसीएमएस नम्बर : 2024/223

प्रार्थी:–

1. श्यामादेवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी मीठादास, जाति वैष्णव निवासी बरियाला तहसील सोजत
2. पानीदेवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी बंशीदास, जाति वैष्णव, निवासी बरियाला हाल निवासी लोहडी देजगरा, मण्डोर, जोधपुर, तहसील व जिला जोधपुर
3. लीलादेवी पुत्री चुन्नीलाल पत्नी कानदास, जाति वैष्णव निवासी बिरयाला, तहसील सोजत, हाल निवासी बिसलपुर, तहसील सुमेरपुर जिला पाली
4. सीता पुत्री चुन्नीलाल पत्नी धनुदास जाति वैष्णव निवासी बरियाला तहसील सोजत हाल निवासी बिसलपुर तहसील सुमेरपुर
5. पिस्ता पुत्री चुन्नीलाल पत्नी कन्हैयालाल जाति वैष्णव निवासी बिरयाला हाल निवासी सुरायता, तहसील सोजत जिला पाली

बनाम

अप्रार्थीगण :–

1. दिनेश पुत्र स्व. नेमदास जाति वैष्णव निवासी बरियाला, तहसील सोजत जिला पाली
2. ग्राम पंचायत गागुडा जरिये सरपंच ग्राम गागुडा पंचायत समिति सोजत, जिला पाली
3. ग्राम पंचायत गागुडा जरिये सचिव ग्राम गागुडा पंचायत समिति सोजत, जिला पाली
4. रामचंद्र पुत्र चुन्नीलाल जाति वैष्णव निवासी बरियाला तहसील सोजत जिला पाली
5. भवंरदास पुत्र चुन्नीलाल जाति वैष्णव निवासी बरियाला तहसील सोजत जिला पाली
6. केवलदास पुत्र चुन्नीलाल जाति वैष्णव निवासी बरियाला तहसील सोजत जिला पाली

अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

"पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994"

उपस्थिति :–

1. प्रार्थीगण की ओर से अधिवक्ता श्री गजेन्द्र दवे।
2. अप्रार्थी संख्या 1 की ओर से अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र वैष्णव।

–: निर्णय :–

दिनांक : 23/04/2025

प्रार्थीगण की ओर से उनके अधिवक्ता ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत गागुडा द्वारा मिसल संख्या 40/2017–18 दिनांक 02.08.2017, संकल्प संख्या 05 दिनांक 05.12.2017 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी दिनेशदास पुत्र नेमदास के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 93 के विरूद्ध पेश की है। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया तथा ग्राम पंचायत का रेकर्ड तलब किया गया। अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

ने लिखित बहस पेश की। अप्रार्थीगण संख्या 2 से 5 बावजूद नोटिस तामिली वक्त बहस असालतन/वकालतन एवं अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 6 न्यायालय में अनुपस्थित होने से अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस सुनी गयी।

अधिवक्ता प्रार्थी ने वक्त बहस कथन किया कि प्रार्थीगण के पिता चुन्नीलाल पुत्र खाकीदास की मालिकाना कब्जासुदा, पैतृक भूमि ग्राम पंचायत गागुडा में आई हुई है, जिसके पडौस उत्तर दिशा में आम रास्ता, दक्षिण दिशा में तालाब की पाल, पूर्व दिशा में रास्ता एवं पश्चिम दिशा में गिरधारीलाल का मकान स्थित है। उपरोक्त आबादी भूमि पर प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 4 से 6 की संयुक्त सामलाती उपयोग उपभोग की पैतृक भूमि है। प्रार्थीगण के पिता का स्वर्गवास करीब 33 वर्ष पूर्व हो चुका है। चुन्नीलाल के चार पुत्र रामचन्द्र, नेमदास, भंवरदास व केवलदास हुये व पांच पुत्रीया श्यामादेवी, पानी, लीला, सीता, पिस्ता हुई। इस कारण उक्त भूमि पर प्रत्येक का 1/9 हिस्सा आता है। ग्राम पंचायत ने बिना किसी प्रक्रिया को अपनाये सम्पूर्ण पैतृक सम्पति का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में निष्पादित कर दिया। समस्त कार्रवाई एक ही दिन में पूरी की गई और न ही ग्राम पंचायत द्वारा आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया। जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय पंचायती राज नियमों में निहित प्रक्रिया की पालना नहीं की गयी है इसलिये निगरानी स्वीकार फरमाते हुये जैर निगरानी पट्टे को खारिज फरमावे।

अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने लिखित बहस में अंकित किया कि प्रार्थीगण के पिता चुन्नीलाल की मालिकाना कब्जासुदा भूमि ग्राम पंचायत गागुडा में आई हुई स्थित है तथा प्रार्थीगण व अप्रार्थी संख्या 1 व 4 से 6 की उक्त भूमि सामलाती नहीं है। अप्रार्थी के पक्ष में जारी जैर निगरानी पट्टे के पड़ौस उत्तर दिशा में स्वयं का प्लॉट व दरवाजा, दक्षिण दिशा में तालाब की पाल व रास्ता, पूर्व दिशा में भंवरदास, रामचन्द्र पुत्र चुन्नीलाल वैष्णव का मकान तथा पश्चिम दिशा में केवलचन्द पुत्र चुन्नीलाल का प्लॉट मय मकान स्थित है, जिसका क्षेत्रफल 1536.96 वर्गफीट है। प्रार्थीगण अपने प्रार्थना पत्र में जिस भूमि का अंकन किया है उसका क्षेत्रफल 10695.76 वर्गफूट बताया है और यह भी अंकित किया कि उक्त सम्पूर्ण भूमि का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में बना दिया, जबकि यह तथ्य पूर्णतया गलत है। ग्राम पंचायत ने सम्पूर्ण कार्यवाही कर अप्रार्थी संख्या 1 के रहवास व कब्जे के आधार पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। इसलिये प्रार्थीगण द्वारा बिना विधिक आधारों के प्रस्तुत जैर निगरानी याचिका को खारिज फरमावे।

हमने उभयपक्ष अधिवक्ता की श्रवणसुदा बहस पर मनन किया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया। जैर निगरानी ग्राम पंचायत गागुडा द्वारा मिसल संख्या 40/2017–18 दिनांक 02.08.2017, संकल्प संख्या 05 दिनांक 05.12.2017 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी दिनेशदास पुत्र नेमदास के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 93 के विरूद्ध पेश की है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने दौराने बहस उज्र किया कि जैर आराजी प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 4 से 6 की पुश्तैनी थी जिस पर सभी का सामलाती उपयोग व कब्जा था, उसके उपरान्त अप्रार्थी संख्या 1 ने सम्पूर्ण भूमि का अपने पक्ष में जैर निगरानी पट्टा जारी कर दिया। जिसका विरोध करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि जैर आराजी भूमि पुश्तैनी भूमि थी परन्तु चुन्नीलाल के देहान्त होने के पश्चात् प्रार्थीगण एवं अप्रार्थी संख्या 1 व 4 से 6 मध्य भूमि

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली (राज.)

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

का बंटवाडा हो गया था और सभी अपने अपने हिस्से की भूमि पर काबिज थे एवं उसी आधार पर ग्राम पंचायत ने विधिवत जांच कर जैर निगरानी पट्टा जारी किया है। प्रकरण में यह तो स्पष्ट है कि जैर आराजी पुश्तैनी है परन्तु पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं है जिससे यह जाहिर हो सके उस भूमि पर सभी का सामलाती उपयोग उपभोग हो रहा हो अथवा अप्रार्थी सम्पूर्ण भूमि पर काबिज हो। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह उज्र दस्तावेज की अनुपलब्धता में एवं साबित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है। राजस्थान पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 97 के तहत राज्य सरकार, स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्व व्यक्ति द्वारा आवेदन किये जाने पर, किन्ही भी कार्यवाहियो के सम्बन्ध में, किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी स्थायी समिति या उप समिति का अभिलेख उनमें पारित किसी भी विनिश्चय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता या औचित्य के बारे में ऐसी कार्यवाहियो की नियमितता के बारे में स्वयं का समाधान करने के लिए मंगा सकेगी और उसकी परीक्षा कर सकेगी और यदि किसी भी मामले में, यह प्रतीत हो कि ऐसे किसी भी विनिश्चय या आदेश को उपांतरित या बातिल किया, उलट दिया या पुनर्विचारार्थ विप्रेषित किया जाना चाहिए तो वह तदनुसार आदेश पारित कर सकेगी, के प्रावधान है।

इसके अतिरिक्त अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी निगरानी मीमों में यह अंकित किया कि उनकी पुश्तैनी आबादी भूमि का क्षेत्रफल 10695.76 वर्गफुट है और उस सम्पूर्ण पैतृक सम्पति का पट्टा अप्रार्थी संख्या 1 ने अपने पक्ष में जारी करवा दिया जिसका विरोध करते हुये अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 1 ने कथन किया कि अप्रार्थी ने अपने कब्जे सुदा भूमि का ही जैर निगरानी पट्टा जारी करवाया है। जैर निगरानी पट्टे के अवलोकन अनुसार प्रश्नगत पट्टे का क्षेत्रफल 1536.96 वर्गफुट है जबकि अधिवक्ता प्रार्थीगण ने अपनी पुश्तैनी आबादी भूमि का क्षेत्रफल 10695.76 वर्गफुट बताया है। लिहाजा यह सुस्पष्ट है कि ग्राम पंचायत द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 के पक्ष में प्रार्थीगण द्वारा प्रश्नचिन्हित् सम्पूर्ण आबादी भूमि का पट्टा जारी नहीं किया, साथ ही प्रार्थीगण द्वारा अपनी आबादी भूमि के अंकित पडौस, जैर निगरानी पट्टे के पडौस से भी मेल नहीं खाते है। इसलिये अधिवक्ता प्रार्थीगण का यह उज्र साबित नहीं होने की दशा में स्वीकार योग्य नहीं है।

जैर निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टा राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 157 के तहत जारी किया गया है। हस्तगत प्रकरण में पट्टा जारी किये जाने के सम्बन्ध में ग्राम पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वो राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 140 से 157 में विहित प्रावधानों के अनुरूप है। ग्राम पंचायत के समक्ष अप्रार्थी द्वारा पट्टा जारी करवाने हेतु जो प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया, उसमें प्रश्नगत भूमि के पड़ौस का अंकन है व नियमानुसार शुल्क भी जरिये रसीद संख्या 04/92 दिनांक 02.08.2017 से जमा करवायी एवं अप्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में अंकित कथनों के समर्थन में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया है। जैर निगरानी आज्ञा से सम्बन्धित मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि आदेशिका दिनांक 05.08.2017, जो कि प्रथम आदेशिका थी, उसमें सचिव को पत्रावली कायम कर नक्शा तैयार करने एवं तीन पंचों को मौका निरीक्षण किये जाने के आदेश जारी किये गये। प्रश्नगत भूमि के नक्शे पर नक्शा बनाने वाले, सायल तथा सरपंच के हस्ताक्षर है एवं भूमि निरीक्षण प्रपत्र में भी मौका निरीक्षण कमेटी के हस्ताक्षर

अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

है इसके अतिरिक्त आवेदक द्वारा नियम 145 (3) के तहत स्थल निरीक्षण के व्यय पेटे 25/- रूपये आवेदन पत्र के साथ ही जमा करवाये। इसके पश्चात नियम 146 के तहत पत्रावली कायम की जाकर तीन पंचों ने नियम 146(3) में वर्णित बिन्दुओं पर रिपोर्ट प्रस्तुत की। प्रकरण में पंचायती राज नियमों में विहित प्रावधानों की पालना करते हुये सम्पूर्ण प्रक्रिया अपनाई गई है, जो कि विधिनुसार है। प्रकरण में पंचायत द्वारा जो प्रक्रिया अपनाई गई है, वह समर्थन योग्य है।

हस्तगत प्रकरण में अप्रार्थी के प्रश्नगत भूमि पर कब्जे के सम्बन्ध में तीन गवाहों के बयान लिये गये, जिसमें सभी ने यह माना कि जैर निगरानी भूमि पर आवासीय मकान है और उस पर अप्रार्थी संख्या 1 का पुराना कब्जा है। अधिवक्ता प्रार्थीगण ने बवक्त बहस यह भी कथन किया कि ग्राम पंचायत ने जैर निगरानी पट्टा जारी करते समय आपत्ति इश्तिहार जारी नहीं किया इसलिये प्रार्थीगण को जैर निगरानी पट्टा जारी करने की जानकारी नहीं होने से आपत्ति प्रस्तुत नहीं कर सके परन्तु ग्राम पंचायत से प्राप्त रेकर्ड के अवलोकन से यह स्पष्ट है ग्राम पंचायत ने नियम 148 के तहत दिनांक 20.09.2017 को आपत्ति इश्तिहार प्ररूप-XXII में जारी किया, जिस पर ग्राम पंचायत की मोहर, डिस्पेच नम्बर एवं नोटिस जारी करने की दिनांक अंकित है, साथ ही नोटिस का सहजदृश्य स्थान पर चस्पानगी के सम्बन्ध में दो गवाहों के हस्ताक्षर अंकित है। यदि प्रार्थीगण को जैर निगरानी पट्टा जारी करने के सम्बन्ध में कोई आपत्ति थी तो उन्हे ग्राम पंचायत के समक्ष अपनी आपत्ति प्रस्तुत करनी थी जो कि उनके द्वारा नहीं की गई, यह तथ्य मिसल की आदेशिका दिनांक 06.11.2017 से स्पष्ट है। मिसल की आदेशिका दिनांक 06.11.2017 के अनुसार प्रकरण में जो आपत्ति इश्तिहार जारी किया गया, उसके सम्बन्ध में कोई आपत्ति प्राप्त नहीं हुई। इसके पश्चात् आदेशिका दिनांक 05.12.2017 के द्वारा राजस्थान पंचायती राज नियम 157 के तहत जैर निगरानी पट्टा जारी करने का निर्णय पारित किया गया और आदेशिका दिनांक 20.12.2017 के अनुसार अप्रार्थी द्वारा निर्धारित राशी जरिये रसीद संख्या 05/71 दिनांक 20.12.2017 के द्वारा जमा करवाये जाने पर जैर निगरानी पट्टा जारी किया गया। इससे यह स्पष्ट होता है कि पंचायत द्वारा जैर निगरानी आज्ञा एवं उसकी पालना में पट्टा जारी किये जाने में राजस्थान पंचायती राज नियम, 1996 के नियम 145 से 157 में निहित प्रावधानों की पूर्ण पालना की गई है। इस प्रकार जैर निगरानी आज्ञा एवं उनकी पालना में जारी पट्टा विधि सम्मत है, इस कारण हस्तगत निगरानी याचिका में प्रश्नगत आज्ञा एवं उसकी पालना में जारी पट्टे में हस्तक्षेप किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है।

परिणामस्वरूप अधिवक्ता प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी याचिका खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत ग्राम पंचायत गागुडा द्वारा मिसल संख्या 40/2017-18 दिनांक 02.08.2017, संकल्प संख्या 05 दिनांक 05.12.2017 एवं उसकी पालना में अप्रार्थी दिनेशदास पुत्र नेमदास के पक्ष में जारी पट्टा संख्या 93 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रतिलिपि के साथ ग्राम पंचायत का अभिलेख लौटाया जावे।

निर्णय आज दिनांक 23/05/2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ. बजरंग सिंह)
अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली
अति. जिला कलक्टर
पाली (राज.)

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर
पाली (राज.)